न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 441–दो/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 17–01–2012 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी जिला छतरपुर – प्रकरण क्रमांक 56/2009–10 अपील

1– सिप्पू पुत्र रामाधीन कोरी
2– हल्के पुत्र रामाधीन कोरी
ग्राम प्रतापपुरा तहसील लोड़ी
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– रिवा कोरी पुत्र रामधीन कोरी
2– राजू पुत्र तिरवा कोरी
3– रामचरण पुत्र हिरवा कोरी
4– रामपाल पुत्र हिरवा कोरी
निवासी प्रतापपुरा तहसील लोड़ी
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 2–1 –2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी/लवकुशनगर के प्र0क0 56/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–1–2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम प्रतापपुरा की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4 पर प्रविष्ट दिनांक 17-10-99 भरकर उभय के नाम की संयुक्त धारित भूमि का बटवारा ग्राम पंचायत व्दारा प्रमाणित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी/ लवकुशनगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 56/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-1-2012 से अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया एंव तहसीलदार लौड़ी को आदेश दिये कि वह सभी हितबद्वों को श्रवण कर पुनः बटवारा आदेश पारित करें। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक से तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने लेखी बहस प्रस्तुत की मंशा व्यक्त की। उन्हें लेखी बहस प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का अवसर दिया गया, किन्तु आदेश पारित करने तक उनके व्दारा लेखी बहस प्रस्तुत नहीं की। अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार करने से स्थिति यह है कि ग्राम प्रतापपुरा की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4 पर प्रविष्ट दिनांक 17-10-99 अंकित करके ग्राम पंचायत व्दारा उभय के नाम की संयुक्त भूमि का बटवारा प्रमाणित किया गया है। प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या नामान्तरण पॅजी पर बटवारा किया जा सकता है ?

भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)- धारा-178 - पंजी पर बटवारा किया गया - बटवारा कार्यवाही दूषित है। बटवारे हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन अनिवार्य है।

अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी ने बटवारे के पूर्व सम्यक सूचना न निकाले जाने, पक्षकारों को व्यक्तिगत सूचित न करने, बटवारा नियम एंव प्रकिया का पालन न करना पाने के कारण ग्राम प्रतापपुरा की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4 पर प्रविष्टि दिनांक 17-10-99 पर किये गये बटवारे को निरस्त कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रृटि नहीं है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17-1-2012 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी/ लवकुशनगर व्दारा प्रकरण कमांक 56/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-1-2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर